राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2266/2015 सुरेन्द्र सिंह मेहरा	1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. अति. आयुक्त (मुख्यालय) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।	08.09.2015	श्री ऋषभ चन्द जैन, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	2267/2015 त्रिवेणी शंकर शर्मा			
3.	2268/2015 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता			
4.	2269/2015 संजय व्यास			

आदेश की दिनांक : 29.04.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2266/2015 सुरेन्द्र सिंह मेहरा बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2014 से द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ (मय एरियर) दिये जाने का आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 06.04.1996 को वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 06.04.2005 को वेतन श्रृंखला 4000–6000 प्रदान की गई। आदेश दिनांक 23.06.2011 के द्वारा कर सहायक के पद पर अपीलार्थी को नियुक्ति दी गई और वर्तमान में अपीलार्थी कर सहायक के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 05.04.2013 के अनुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारित किया गया और दिनांक 06.04.2014 को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार हो गया। परंतु अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। कर सहायक का पद वर्ष 2011 में ही सृजित किया गया एवं रनिंग पे बैण्ड ग्रेड पे 2400 है और अपीलार्थी ग्रेड पे

2400 में वेतन प्राप्त कर रहा था। वर्ष 2013 से ही दोनो पदों की ग्रेड पे 2800 कर दी गई और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 06.04.2014 से ही द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2014 से द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ (मय एरियर) दिये जाने का आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को कर सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें ग्रेड पे 2800 में कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 05.04.2013 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कर सहायक की ग्रेड पे 2400 वेतन नियतन किया गया। दिनांक 01.07.2013 को यह ग्रेड पे 2800 में परिवर्तित हो गई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद की राज सेवा प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.1996 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई तथा दिनांक 06.04.2014 को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाती है, जिसमें दिनांक 24.06.2011 से दिनांक 16.03.2014 तक की सेवा अवधि कर सहायक के पद पर की गई सेवा अवधि भी शामिल है। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर देय 18 वर्षीय चयनित वेतनमान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के पैरा संख्या 7 (iii) के अनुसार प्राप्त करने का हकदार नहीं है अर्थात् यहां पर पूर्व पद कनिष्ठ लिपिक का ग्रेड पे 2400 एवं नवीन नियुक्ति पर वर्तमान पद कर सहायक के ग्रेड पे 2800 जो समान ग्रेड पे की श्रेणी में नहीं आता है और इस प्रकार अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक पद का 18 वर्षीय चयनित वेतनमान देय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 06.04.1996 को वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 06.04.2005 को वेतन श्रृंखला 4000–6000 प्रदान की गई। आदेश दिनांक 23.06.2011 के द्वारा कर सहायक के पद पर अपीलार्थी को नियुक्ति दी गई और वर्तमान में अपीलार्थी कर

सहायक के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 05.04.2013 के अनुसार अपीलार्थी का वेतन निर्धारित किया गया और दिनांक 06.04.2014 को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार हो गया। परंतु अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ विभाग द्वारा नहीं दिये जाने का प्रश्न है, चूंकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और तदुपरान्त वर्ष 2011 में कर सहायक के पद पर नियुक्ति हुई, जो कनिष्ठ सहायक एवं कर सहायक दोनों अलग–अलग पद हैं, परंतु अपीलार्थी को 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2266/2015 सुरेन्द्र सिंह मेहरा बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य